

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नं अनुक्रमांक तारीख
13-12-17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उपाय... तद्विषयक से जवाब किताब जाका जाका... डिकेंड 23-12-17 को पेश है।</p> <p>पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 23-12-17 के राज्य मुख्यालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-12-17 नियत की जाती है।</p> <p>पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था / प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 23-12-18 के राज्य मुख्यालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 05-01-18 नियत की जाती है।</p>	
6-4-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उपाय... तद्विषयक से जवाब किताब जाका जाका... जाका जाका जाका दिनांक 2-5-18 को पेश है।</p>	2434 6-4-18
2-5-18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उपाय... तद्विषयक से जवाब किताब जाका जाका... जाका जाका जाका दिनांक 15-5-18 को पेश है।</p>	
15.5.18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उक्त पक्ष उपाय... अप्रीति सौ 1:618 जलाल पुरा किया गया। शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण संक्षेप में इस प्रार से कि प्राप्ति गिना के पिल्लु... हरनाथ को ग्राम पावडरा में वर्ष 1976 में खस 1174/1, व 616/1/1 पुलामिला रबुल रबुल 9111 में से भू भूमि आवंटित की गयी थी। आवंटन शुद्ध भूमि के खस 1174 (साकि) के 1 वीन खस 2072 खस 29 हरे 2075 खस 040 हरे के। यह सटसमेर विभाग द्वारा खस 2072 व 2075 सम्पूर्ण अप्रीति/धरिपदी सौ 4 के तामसगा दियाख उसके द्वारा उक्त भूमि कावे सान अप्रीति/धरिपदी सौ 3</p>	

हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म की
तामीर में जारी हुए

को बर दिया गया जबकि खस २०१२ व २०१५
के कुल रकबा ०.३१ हेक्टर से ०.२० हेक्टर
रकबा अप्रार्थी/ पत्रावली सभ पक्ष के नाम
दर्ज होना चाहिए था जो कि दुर्घटना किये
जाये। तहसीलदार कोय का वरवाडा द्वारा
प्रस्तुत जबाब अनुसार प्राथिगण को
ग्राम पावडरा के साविक खस ११७५/ रकबा
रकबीडा व ६१६/१/ रकबा १० बिस्वा
कुल कितो दो रकबा रकबीडा १० बिस्वा
में से रकबीडा भूमि का आवरण हुआ था।
उक्त खस १०७५/२६८२ रकबा ०.०६ हेक्टर १०७५/२६८३
रकबा ०.१० हेक्टर १०८२ रकबा ०.०९ हेक्टर
कितो ०३ रकबा ०.२५ हेक्टर प्राथी के नाम
वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है अर्थात
आवरिल भूमि प्राथी के नाम वर्तमान
राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है ~~अर्थात~~
इसलिए प्राथी का प्रार्थना पत्र में चला
गया अर्थात् वर्तमान खस २०१५ व
२०१५ में से ०.१९ हेक्टर भूमि के संबंध
में राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि कर उसका
नाम अंकित किया जावे। खारिज परममा
जावे।
पत्रावली में संलग्न प्रस्ताविका का
अवलोकन कर मनन करने पर पाया
गया कि प्राथी को ग्राम पावडरा में वर्ष
१९७६ में आवरिल भूमि साविक खस ११७५
संख्या ११७५ व ६१६/१/ में से रकबीडा
भूमि नवीन खस १०७५/२६८२ १०७५/२६८३
१०८२ कुल कितो ०३ रकबा ०.२५ हेक्टर
के रूप में उसके नाम दर्ज रिकॉर्ड है
अर्थात् इसलिए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में
विसी प्रकार की अशुद्धि है यह तथ्य सही
नहीं माना जा सकता। अतः प्राथी का
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फिसलाशुआर हो दर्ज व ० से
कम हो।